न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 133/2025

वादी :-

1. रामकिशोर शर्मा आर पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र
2. राजू आर पुत्र स्व. रामचन्द्र जातियान ब्राहमण निवासीगण ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति:-वादीगण - श्री मदन लाल चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी सं. 1 - सरकारी पैरोकार।

निर्णय

दिनांक:-09/03/26

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रावर, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 56 रकबा 4.5223 हैक्टेयर आई हुई है। जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार नये 160 व पुराने 125 है। जिसमें वादी संख्या 1 का 2/9 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 2/9 हिस्सा दर्ज है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में वादीगण के पिता रामचन्द्र के नाम दर्ज थी, रामचन्द्र फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण व उनकी माता चम्पादेवी के नाम दर्ज की गयी तथा वक्त फौतेदगी म्यूटेशन वादीगण नाबालिग होने से फौतेदगी म्यूटेशन में वादीगण के नाम के आगे नाबालिग व नाम के पीछे संरक्षक चम्पादेवी पत्नी रामचन्द्र दर्ज किया गया तथा फौतेदगी म्यूटेशन के अनुसार ही वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया। वादी संख्या 1 को घर पर प्यार व स्नेह से नथुराम के नाम से पुकारा जाता है तथा वादी संख्या 2 को घर पर प्यार व स्नेह से राजेन्द्रकुमार के नाम से पुकारा जाता है तथा वादीगण के पिता के फौतेदगी म्यूटेशन में भी वादीगण का नाम घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम नथुराम व राजेन्द्रकुमार दर्ज किया गया, जबकि वादी संख्या 1 का सही नाम रामकिशोर शर्मा आर है तथा वादी संख्या 2 का सही नाम राजू आर है। जिसके सम्बंध में वादी संख्या 1 के सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, स्कूल टी.सी., ग्राम रावर में वादी संख्या 1 के आवासीय भूमि का पट्टा, जनआधारकार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत रावर का प्रमाण पत्र पेश है, जिसमें वादी संख्या 1 का नाम रामकिशोर शर्मा आर दर्ज है। इसी प्रकार वादी संख्या 2 के सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, सरपंच ग्राम पंचायत रावर का प्रमाण पत्र पेश है, जिसमें वादी संख्या 2 का नाम राजू आर दर्ज है। वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी संख्या 1 का नाम नथुराम व वादी संख्या 2 का नाम राजेन्द्रकुमार दर्ज होने की जानकारी होने पर वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी संख्या 1 के उपरोक्त सरकारी दस्तावेज में दर्ज सही नाम रामकिशोर शर्मा आर व वादी संख्या 2 के उपरोक्त सरकारी दस्तावेज में दर्ज सही नाम राजू आर दुरुस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा वादीगण के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु प्रतिवादी सक्षम

नही है, अपितु श्रीमान सक्षम है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी संख्या 1 के अशुद्ध नाम नथुराम के स्थान पर वादी संख्या 1 का सही/शुद्ध नाम रामकिशोर शर्मा आर व वादी संख्या 2 के अशुद्ध नाम राजेन्द्रकुमार के स्थान पर वादी संख्या 2 का सही / शुद्ध नाम राजू आर दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में बिना दुरुस्ती के वादीगण अपने दर्ज हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे है व न ही बालिग का म्यूटेशन दर्ज करवा पा रहे है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी संख्या 1 के अशुद्ध नाम नथुराम के स्थान पर वादी संख्या 1 का सही / शुद्ध नाम रामकिशोर शर्मा आर व वादी संख्या 2 के अशुद्ध नाम राजेन्द्रकुमार के स्थान पर वादी संख्या 2 का सही/शुद्ध नाम राजू आर वादीगण के उपरोक्त सरकारी दस्तावेज के आधार पर शुद्ध/दुरुस्त किये जाने हेतु यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरुस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त कृषि भूमि के अन्य दर्ज सहखातेदार वादीगण की माता चम्पादेवी व क्रेता बाबूलाल को प्रस्तुत वाद में पक्षकार नही बनाया है, क्योकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में उनके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा है व न ही चाहे गये अनुतोष से उनके हिस्से प्रभावित हो रहे है। इसलिए उपरोक्त अन्य दर्ज सहखातेदार प्रस्तुत वाद में न तो आवश्यक पक्षकार है व न ही प्रभावित पक्षकार है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता का फौतेदगी म्यूटेशन में वादी संख्या 1 का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम नथुराम व वादी संख्या 2 का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम राजेन्द्रकुमार दर्ज किये जाने से तथा फौतेदगी म्यूटेशन के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम दर्ज किये जाने से, वादी संख्या 1 का सही नाम रामकिशोर शर्मा आर उसके सरकारी दस्तावेज के अनुसार होने से व वादी संख्या 2 का सही नाम राजू आर उसके सरकारी दस्तावेज के अनुसार होने से, वादीगण का सही नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नही होने की जानकारी वादीगण को होने पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी संख्या 1 के दर्ज अशुद्ध नाम नथुराम के स्थान पर सही / शुद्ध नाम रामकिशोर शर्मा आर व वादी संख्या 2 के दर्ज अशुद्ध नाम राजेन्द्रकुमार के स्थान पर सही / शुद्ध नाम राजू आर वादीगण के सरकारी दस्तावेज अनुसार दुरुस्त किये जाने हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा वादीगण के निवेदन को दुरुस्ती हेतु सक्षम नही होने के आधार पर अस्वीकार करने पर बमुकाम् ग्राम रावर, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 56 रकबा 4.5223 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वादी संख्या 1 का दर्ज अशुद्ध इन्द्राज नाबालिग नथुराम पुत्र रामचन्द्र सरंक्षक चंपादेवी पत्नि रामचन्द्र हिस्सा 2/9 जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के स्थान पर सही/शुद्ध इन्द्राज नाबालिग रामकिशोर शर्मा आर पुत्र रामचन्द्र सरंक्षक चंपादेवी पत्नि रामचन्द्र हिस्सा 2/9 जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार व वादी संख्या 2 का दर्ज अशुद्ध इन्द्राज नाबालिग राजेन्द्रकुमार पुत्र रामचन्द्र सरंक्षक चंपादेवी पत्नि रामचन्द्र हिस्सा 2/9 जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के स्थान पर सही / शुद्ध इन्द्राज नाबालिग राजू आर पुत्र रामचन्द्र सरंक्षक चंपादेवी पत्नि रामचन्द्र हिस्सा 2/9

उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार दुरूस्त किये जाने का आदेश / डिक्री फरमावे। मुताबिक आदेश/डिक्री के अनुसार दुरूस्त इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 56 रकबा 4.5223 हैक की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 में वादी संख्या 01 का 2/9 हि व वादी संख्या 02 का 2/9 हैक्टयर दर्ज हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण के पिता रामचन्द्र के नाम दर्ज थी, वादीगण के पिता रामचन्द्र का देहान्त होने पर जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 450 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण व उनकी माता चम्पादेवी के नाम दर्ज की गयी तथा वक्त विरासत नामान्तरकरण वादीगण नाबालिग होने से विरासत नामान्तरकरण में वादी के नाम के आगे नाबालिग व नाम के पीछे संरक्षण चम्पादेवी पत्नि रामचन्द्र दर्ज किया गया तथा विरासत नामान्तरकरण के अनुसार ही वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया। वादी संख्या 01 का सही नाम उसके सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड स्कूल टी. सी. ग्राम रावर में वादी संख्या 01 के आवासीय भूमि का पटटा जनआधार कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत रावर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार रामकिशोर शर्मा आर हैं। वादी संख्या 02 का सही नाम सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, पैनकार्ड, ड्राईविग लाईसेन्स, ग्राम पंचायत रावर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार राजू आर हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी संख्या 01 के अशुद्ध नाम नथुराम के स्थान पर वादी संख्या 01 का सही/शुद्ध नाम उसके सरकारी दस्तावेज अनुसार रामकिशोर शर्मा आर व वादी संख्या 02 के अशुद्ध नाम राजेन्द्रकुमार के स्थान पर वादी संख्या 02 का सही/शुद्ध नाम उसके सरकारी दस्तावेज अनुसार राजू आर दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन हैं हल्का पटवारी रावर की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 56 रकबा 4.5223 है. के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 में वादी संख्या 01 का दर्ज अशुद्ध इन्द्राज नथुराम पुत्र रामचन्द्र सरंक्षक चंपादेवी पत्नि रामचन्द्र 2/9 हि. जाति बाहम्ण सा. देह के स्थान पर सही/शुद्ध इन्द्राज नाबालिग रामकिशोर शर्मा आर पुत्र रामचन्द्र सरंक्षक चंपादेवी पत्नि रामचन्द्र 2/9 हि. जाति ब्राहम्ण सा. देह के स्थान पर सही/शुद्ध इन्द्राज नाबालिग राजू आर पुत्र रामचन्द्र सरंक्षक चंपादेवी पत्नि रामचन्द्र 2/9 हि. जाति ब्राहम्ण सा. देह का राजस्व रेकार्ड में शुद्ध किया जाता हैं तो भूमिधारी को कोई आपति नहीं है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र रामकिशोर शर्मा आर पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र द्वारा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खसरा नंबर 56 ग्राम रावर की प्रति, प्रदर्श 2 वादी का आधार कार्ड की प्रति, प्रदर्श 3 वादी सं. 1 की स्कूल टी.सी. फार्म, प्रदर्श 4 वादी सं. 1 का आवासीय भूमि का पट्टा, प्रदर्श 5 वादी सं. 2 का आधार

कार्ड, प्रदर्श 6 वादी सं. 2 का पैनकार्ड, प्रदर्श 7 वादी सं. 2 का ड्राईविंग लाईसेन्स, प्रदर्श 8 प्रशासक ग्राम पंचायत रावर द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रदर्श 9 वादीगण के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 वादी सं. 1 का आधार कार्ड की प्रति, प्रदर्श 2 वादी सं. 1 की स्कूल टी.सी. फार्म की प्रति, प्रदर्श 3 वादी सं. 1 का आवासीय भूमि का पट्टा की प्रति, प्रदर्श 4 वादी सं. 1 के जनआधार कार्ड की प्रति, प्रदर्श 5 वादी सं. 2 का आधार कार्ड, प्रदर्श 6 वादी सं. 2 का पैनकार्ड की प्रति, प्रदर्श 7 प्रशासक ग्राम पंचायत रावर द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि उपरोक्त दस्तावेजात में वादी सं. 1 का नाम रामकिशोर शर्मा/रामकिशोर शर्मा आर तथा वादी सं. 2 का नाम राजू आर दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम नाबालिग नथुराम पुत्र रामचन्द्र संरक्षक चंपादेवी पत्नी रामचन्द्र व नाबालिग राजेन्द्रकुमार पुत्र रामचन्द्र संरक्षक चंपादेवी पत्नी रामचन्द्र के नाम से दर्ज है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण राजस्व रेकर्ड में वादीगण अपना नाम नाबालिग रामकिशोर शर्मा आर पुत्र रामचन्द्र संरक्षक चंपादेवी पत्नि रामचन्द्र तथा नाबालिग राजू आर पुत्र रामचन्द्र सरंक्षक चंपादेवी पत्नि रामचन्द्र की घोषणा कराने की अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने नाबालिग नथुराम पुत्र रामचन्द्र संरक्षक चंपादेवी पत्नी रामचन्द्र व नाबालिग राजेन्द्रकुमार पुत्र रामचन्द्र संरक्षक चंपादेवी पत्नी रामचन्द्र के स्थान पर नाबालिग रामकिशोर शर्मा आर पुत्र रामचन्द्र सरंक्षक चंपादेवी पत्नि रामचन्द्र तथा नाबालिग राजू आर पुत्र रामचन्द्र सरंक्षक चंपादेवी पत्नि रामचन्द्र किये जाने की सहमति प्रदान की है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम रावर के खसरा नंबर 56 रकबा 4.5223 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में नाबालिग नथुराम पुत्र रामचन्द्र संरक्षक चंपादेवी पत्नी रामचन्द्र व नाबालिग राजेन्द्रकुमार पुत्र रामचन्द्र संरक्षक चंपादेवी पत्नी रामचन्द्र के स्थान पर नाबालिग रामकिशोर शर्मा आर पुत्र रामचन्द्र सरंक्षक चंपादेवी पत्नि रामचन्द्र तथा नाबालिग राजू आर पुत्र रामचन्द्र सरंक्षक चंपादेवी पत्नि रामचन्द्र की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 09/03/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण :- **बनाम** **प्रतिवादीगण :-**
रामकिशोर शर्मा वगैरा सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :- 133/2025

दिनांक :- 09/03/26

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम रावर के खसरा नंबर 56 रकबा 4.5223 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में नाबालिग नथुराम पुत्र रामचन्द्र संरक्षक चंपादेवी पत्नी रामचन्द्र व नाबालिग राजेन्द्रकुमार पुत्र रामचन्द्र संरक्षक चंपादेवी पत्नी रामचन्द्र के स्थान पर नाबालिग रामकिशोर शर्मा आर पुत्र रामचन्द्र सरंक्षक चंपादेवी पत्नि रामचन्द्र तथा नाबालिग राजू आर पुत्र रामचन्द्र सरंक्षक चंपादेवी पत्नि रामचन्द्र की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रुपया	पैसे	मुदायराह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा